

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/04

दायर दिनांक 12.01.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. रामनारायण पुत्र सुखदेव जाति ब्राह्मण निवासी केराप तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	स्व0 सत्यनारायण के वारिसान (प्रति0 सं0 01 व 02) 1. नवनत्न पुत्र स्व0 सत्यनारायण 2. महावीर पुत्र स्व0 सत्यनारायण 3. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 रामधन समस्त जाति ब्राह्मण स्व0 मांगीलाल के वारिसान (प्रति0 सं0 04 से 10) 4. सोहनलाल पुत्र स्व0 मांगीलाल 5. नन्दलाल पुत्र स्व0 मांगीलाल 6. जयकिशन पंत्र स्व0 मांगीलाल 7. नरसिंह पुत्र स्व0 मांगीलाल 8. अरूण पुत्र स्व0 राधाकिशन 9. अनील पुत्र स्व0 राधाकिशन 10. चन्द्रकला पत्नी स्व0 राधाकिशन समस्त जाति ब्राह्मण स्व0 किशनलाल, देवाराम, गौपाल, औमप्रकाश, शिवनारायण पुत्रगण स्व0 दीपा के वारिसान (प्रति0 सं0 11 से 25) स्व0 किशनलाल के वारिसान (प्रति0 सं0 11 से 14) 11. नरेश पुत्र स्व0 घनश्याम 12. निखलेश पुत्र स्व0 घनश्याम 13. औंकार पुत्र किशनलाल 14. लिछमा पत्नी स्व0 किशनलाल स्व0 देवाराम के वारिसान (प्रति0 सं0 15 से 16) 15. रामावतार पुत्र स्व0 देवाराम 16. अनुराग पुत्र स्व0 श्रीनिवास 17. बबलू पुत्र स्व0 श्रीनिवास 18. ललीता पत्नी स्व0 श्रीनिवास (प्रतिवादी सं0 16 व 17 नाबालिक जरिये सरंक्षक कुदरती वलिया माता प्रतिवादीनी सं0 18 ललिता के) 19. गोपाल पुत्र स्व0 दीपा 20. औमप्रकाश पुत्र स्व0 दीपा समस्त जाति ब्राह्मण स्व0 चेना पुत्री स्व0 दीपा के वारिसान प्रतिवादी सं0 21 21. गौरी शंकर पुत्र श्यामसुन्दर

बनाम्

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-2017/04
 वायर दिनांक 12.01.2017, निर्णय दिनांक 14.06.2017
 रामनारायण बनाम नवरत्न, नगौर।

		जाति ब्राह्मण निवासी निमोद स्व० लिछमा पुत्री स्व० दीपा के वारिसान प्रतिवादी सं० 22
		22. ललीत कुमार पुत्र स्व० सुरजमल जाति ब्राह्मण निवासी बेगसर
		23. मैना पुत्री स्व० दीपा जाति ब्राह्मण
		24. गीता पत्नी स्व० शिवनारायण
		25. मदन पुत्र स्व० शिवनारायण
		26. भंवरलाल पुत्र स्व० गणपत
		27. रामेश्वर पुत्र स्व० गणपत
		28. सुगना पुत्र स्व० भुराराम समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण केराप (सिवाय प्रतिवादी सं० 21 व 22 के)
		29. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत
 घोषणा खातेदारी, रेकॉर्ड दुरुस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
 अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :- पक्षकारान

--: निर्णय :-

दिनांक 14.06.2017


वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, पक्षकारान आज मजमें आम न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट केराप में उपस्थित हुए। वादी ने निवेदन किया कि निम्न प्रकार से हमारा बंटवारा किया जावे:-

(अ) वादी रामनारायण के हक हिस्से बंट व कब्जे में आये खैताय निम्न प्रकार है:- वाके सरहद केराप के खेत खसरा सं० 194 रकबा 05 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 208 रकबा 19 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 152 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 152/857 रकबा 08 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 136 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण कुल 34 बीघा 13 बिस्वा भूमि।

(ब) स्व० सत्यरानायण पुत्र धन्ना के वारिसान (प्रतिवाद सं० 01 व 02, प्रति० सं० 1 नवरत्न व प्रति० सं० 2 महावीर के हक हिस्से बंट व कब्जे में आये संयुक्त रूप से खैताय निम्न प्रकार से है:- वाके सरहद केराप के खसरा सं० 154 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 154/858 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 751/3 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 07 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा भूमि।

(स) प्रतिवादी सं० 03 कन्हैयालाल पुत्र रामधन के हक हिस्से बंट व कब्जे में आये खैताय निम्न प्रकार से है:- वाके सरहद केराप के खसरा सं० 137 रकबा 09 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 755 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 751/1 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 07 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि।

(द) स्व० मांगीलाल के वारिसान (प्रतिवाद सं० 04 से 10), प्रतिवादी सं० 4 सोहनलाल, प्रति० सं० 5 नन्दलाल, प्रति० सं० 6 जयकिशन, प्रति० सं० 7


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-2017/04
 दायर दिनांक 12.01.2017, निर्णय दिनांक 14.06.2017
 रामनारायण बनाम नवरत्न, वगैरा।

नरसिंह, प्रति० सं० 8 अरूण, प्रति० सं० 9 अनील, प्रति० सं० 10 चन्द्रकला के हक हिस्से बंट व कब्जे की भूमि:- वाके सरहद केराप के खसरा सं० 138 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 216 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 756 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 803 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 135 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 52 बीघा 01 बिस्वा भूमि।

(य) स्व० किशनलाल, स्व० देवाराम, गौपाल, औमप्रकाश, शिवनारायण, पुत्रगण स्व० दीपा व वारिसान (प्रति० सं० 11 से 25) जिनमें से स्व० किशनलाल के वारिसान प्रति० सं० 11 से 14, प्रति० सं० 11 नरेश, प्रति० सं० 12 निखलेश, प्रति० सं० 13 औंकार, प्रति० सं० 14 लिछमा व स्व० देवाराम के वारिसान प्रति० सं० 15 से 18 प्रति० सं० 15 रामावतार, प्रति० सं० 16 अनुराग, प्रति० सं० 17 बबलू, प्रति० सं० 18 ललिता तथा प्रति० सं० 19 गोपाल, प्रति० सं० 20 औमप्रकाश, स्व० चेना पुत्री स्व० दीपा के वारिसान प्रति० सं० 22 ललीत कुमार, प्रति० सं० 23 मैना, प्रति० सं० 24 गीता, प्रति० सं० 25 मदन, के हक हिस्से बंट व कब्जे में आये संयुक्त रूप से खैताय निम्न प्रकार है:- वाके सरहद केराप के खसरा सं० 132 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 195 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 209 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 752 रकबा 10 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 134 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 751/3 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 07 बिघा 07 बिस्वा कुल रकबा 46 बीघा भूमि।

(र) स्व० गणपत के वारिसान प्रतिवाद सं० 26 व 27 प्रति० सं० 26 भंवरलाल, प्रति० सं० 27 रामेश्वर के हक हिस्से बंट व कब्जे में आये खैताय निम्न प्रकार है:- वाके सरहद केराप के खसरा सं० 133 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 207 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 754 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण कुल रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा भूमि।

(ल) प्रतिवादी सं० 28 सुगना पुत्र स्व० भूराराम के हक हिस्से बंट व कब्जे में आये खैताय निम्न प्रकार है:- प्रतिवादी सं० 28 ने वादी के साथ हुए आपसी सहमति से खसरा सं० 230, 509, 550, 552 में से वादी का हक हिस्सा प्राप्त कर लेने से वादग्रस्त खैताय की खातेदारी में से सुगना का नाम हटाया जाना है।

(व) वाद पत्र में वर्णित खैताय में घीसू लाऔलाद फौत होने के कारण खातेदारी में से घीसू का नाम हटाया जाना है।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट केराप में पेश हुई। पक्षकारान ने उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार वाद को डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की। मजमें आम में प्रकरण की जानकारी ली गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मजमें आम में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी रामनारायण के हक हिस्से बंट व कब्जे में आये खैताय वाके सरहद केराप के खेत खसरा सं० 194 रकबा 05 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 208 रकबा 19 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 152 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 152/857 रकबा 08 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 136 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण कुल भूमि 34 बीघा 13 बिस्वा, स्व० सत्यरानायण पुत्र धन्ना के वारिसान (प्रतिवाद सं० 01 व 02, के वाके सरहद केराप के खसरा सं० 154 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 154/858 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 751/3 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 07 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं० 03 कन्हैयालाल पुत्र

सुभाष कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

रामधन के हक हिस्से बंट व कब्जे में वाके सरहद केराप के खसरा सं० 137 रकबा 09 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 755 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 751/1 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 07 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि, स्व० मांगीलाल के वारिसान (प्रतिवाद सं० 04 से 10 के हक हिस्से बंट व कब्जे की भूमि वाके सरहद केराप के खसरा सं० 138 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 216 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 756 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 803 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 135 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 52 बीघा 01 बिस्वा भूमि, स्व० किशनलाल, स्व० देवाराम, गौपाल, औमप्रकाश, शिवनारायण, पुत्रगण स्व० दीपा व वारिसान (प्रति० सं० 11 से 25) जिनमें से स्व० किशनलाल के वारिसान प्रति० सं० 11 से 14, प्रति० सं० 11 नरेश, प्रति० सं० 12 निखलेश, प्रति० सं० 13 आँकार, प्रति० सं० 14 लिछमा व स्व० देवाराम के वारिसान प्रति० सं० 15 से 18 प्रति० सं० 15 रामावतार, प्रति० सं० 16 अनुराग, प्रति० सं० 17 बबलू, प्रति० सं० 18 ललिता तथा प्रति० सं० 19 गोपाल, प्रति० सं० 20 औमप्रकाश, स्व० चेना पुत्री स्व० दीपा के वारिसान प्रति० सं० 22 ललीत कुमार, प्रति० सं० 23 मैना, प्रति० सं० 24 गीता, प्रति० सं० 25 मदन, के हक हिस्से बंट व कब्जे में आये संयुक्त रूप से खैताय निम्न प्रकार है:- वाके सरहद केराप के खसरा सं० 132 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 195 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 209 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 752 रकबा 10 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 134 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 751/3 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 07 बिघा 07 बिस्वा कुल रकबा 46 बीघा भूमि, स्व० गणपत के वारिसान प्रतिवाद सं० 26 व 27 के हक हिस्से बंट व कब्जे में वाके सरहद केराप के ख०सं० 133 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 207 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 754 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण कुल रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा भूमि तथा खसरा सं० 517 रकबा 15 बिस्वा वाके सरहद केराप वादी व प्रतिवादी सं० 01 से 28 तक का सामलाती रहेगा। उपरोक्तानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वाके सरहद केराप के खसरा सं० 137, 755, 132, 133, 194, 195, 207, 208, 209, 752, 754, 138, 152, 154, 216, 756, 803, 152/857, 154/858, 751/3, 134, 135, 136 में से सुगना का नाम हटाया जाता है तथा वाद पत्र में वर्णित खैताय में घीसू लाऔलाद फौत होने के कारण खातेदारी में से घीसू का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीसहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 14.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प केराप में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीसहायक कलक्टर
डीडवाना

डिगरी बमुकदमें इक्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाका दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/04

दायर दिनांक 12.01.2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामनारायण पुत्र सुखदेव जाति ब्राह्मण निवासी केराप तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. नवरत्न पुत्र सत्यरानारायण जाति ब्राह्मण निवासी केराप वगैराह तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, रेकॉर्ड दुरुस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 14.06.2017


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी रामनारायण के हक हिस्से बंट व कब्जे में आये खैताय वाके सरहद केराप के खेत खसरा सं० 194 रकबा 05 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 208 रकबा 19 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 152 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 152/857 रकबा 08 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 136 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण कुल भूमि 34 बीघा 13 बिस्वा, स्व० सत्यरानायण पुत्र धन्ना के वारिसान (प्रतिवाद सं० 01 व 02, के वाके सरहद केराप के खसरा सं० 154 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 154/858 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 751/3 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 07 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं० 03 कन्हैयालाल पुत्र रामधन के हक हिस्से बंट व कब्जे में वाके सरहद केराप के खसरा सं० 137 रकबा 09 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 755 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 751/1 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 07 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि, स्व० मांगीलाल के वारिसान (प्रतिवाद सं० 04 से 10 के हक हिस्से बंट व कब्जे की भूमि वाके सरहद केराप के खसरा सं० 138 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 216 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 756 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 803 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 135 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 52 बीघा 01 बिस्वा भूमि, स्व० किशनलाल, स्व० देवाराम, गौपाल, औमप्रकाश, शिवनारायण, पुत्रगण स्व० दीपा व वारिसान (प्रति० सं० 11 से 25) जिनमें से स्व० किशनलाल के वारिसान प्रति० सं० 11 से 14, प्रति० सं० 11 नरेश, प्रति० सं० 12 निखलेश, प्रति० सं० 13 आँकार, प्रति० सं० 14 लिछमा व स्व० देवाराम के वारिसान प्रति० सं० 15 से 18 प्रति० सं० 15 रामावतार, प्रति० सं० 16 अनुराग, प्रति० सं० 17 बबलू, प्रति० सं० 18 ललिता तथा प्रति० सं० 19 गौपाल, प्रति० सं० 20 औमप्रकाश, स्व० चेना पुत्री स्व० दीपा के वारिसान प्रति० सं० 22 ललीत कुमार, प्रति० सं० 23 मैना, प्रति० सं० 24 गीता, प्रति० सं० 25 मदन, के हक हिस्से बंट व कब्जे में आये संयुक्त रूप से खैताय निम्न प्रकार है:- वाके सरहद केराप के खसरा सं० 132 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 195 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 209 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 752 रकबा 10 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 134 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 751/3 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 07 बिघा 07 बिस्वा कुल रकबा 46 बीघा भूमि, स्व० गणपत के वारिसान प्रतिवाद सं० 26 व 27 के हक हिस्से बंट व कब्जे में वाके सरहद केराप के खसरा सं० 133 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 207 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 754 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण कुल रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा भूमि तथा खसरा सं० 517 रकबा 15 बिस्वा वाके सरहद केराप वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 28 तक का सामलाती रहेगा। उपरोक्तानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वाके सरहद केराप के खसरा सं० 137, 755, 132, 133, 194, 195, 207, 208, 209, 752, 754, 138, 152, 154, 216, 756, 803, 152/857, 154/858, 751/3, 134, 135, 136 में से सुगना का नाम हटाया जाता है तथा वाद पत्र में वर्णित खैताय में घीसू लाओलाद फौत होने के कारण खातेदारी में से घीसू का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

लगातार पृष्ठ संख्या 2 पर


//2//

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा
इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे
दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय
आपके द्वार-2017 कैम्प कोर्ट केराप में जारी की गयी।


सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया
हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नानौर)